

**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)**  
**(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)**

आपराधिक प्र.क.: 925 / 2014

संस्थित दि: 10 / 10 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

बालसिंह पन्दे पिता स्व. जेलसिंह पन्दे, उम्र 23 साल,  
जाति बैगा, निवासी हीरापुर थाना गढ़ी जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

**—:: उर्पापण — आदेश ::—**

**(आज दिनांक 17 / 10 / 2014 को उर्पार्षित किया गया)**

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कुमारी मालतीबाई ने दिनांक 27.08.2014 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26.08.2014 को रात के 07:00 बजे वह अपने घर में अकेली लेटी थी उसका रिश्ते का जीजा बाउसी समय कासनबाई ने दिनांक 06.05.2003 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में देहाती नालसी लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 04.05.2003 को उसका ससुर गोसाई 9 महीने धरम और सूरज गोंड की बकरी चुराई थी उसके पैसे लेने गया था। वह घर नहीं आया गांव में पता चला कि वह जंगल में मरा हुआ पड़ा है। देहाती नालसी की जांच के आधार पर आरक्षी बालसिंह उसे अकेला देखकर घर में घुसा और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा तो वह चिल्लाई की क्या कर रहे हो तो उसके मुंह पर कपड़ा रखकर दबाने लगा उसकी मां के आने पर आरोपी भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 68/14 अन्तर्गत धारा 354क, 456 भा.दं.वि. एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध कर आरोपी को

गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354क, 354 एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(04) उपार्षण पर उभयपक्षों को सुना गया।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 354(क), 354 एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्षण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 29.10.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट